राजस्थान विधान सभा

आठवां सत्र

कार्य-सूची

सोमवार, दिनांक 06 मार्च, 2017

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचना

शिक्षा विभाग

श्री वासुदेव देवनानी, शिक्षा राज्यमंत्री, शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या:एफ.8(17)शिक्षा-5/फीस/2004पार्ट, दिनांक 8.2.2017, जिसके द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) नियम, 2017 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखेंगे।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

श्री राजपाल सिंह शेखावत, उद्योग मंत्री, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एण्ड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड़ का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2015-2016 सदन की मेज पर रखेंगे ।

3. याचिकाओं का उपस्थापन

(I) डॉ0 फूलचन्द भिण्डा, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम मैंड स्थित राजकीय कन्या सैकण्डरी विद्यालय को सीनियर सैकण्डरी विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

(II) श्री भागीरथ चौधरी, सदस्य, विधान सभा, किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र की तहसील एवं पंचायत समिति मुख्यालय अराई में उपकोष कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी करने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

4. विधायी कार्य

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

(I) राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017

राजस्थान विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-3)

(I) श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

"विनियोग अधिनियमों का निरसन करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(II) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय ।

जारी..2..

(II) राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017

(I) श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य विधान सभा निम्नांकित परिनियत संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक- 3) के संबंध में परिनियत संकल्प

"यह सदन श्रीमन् राज्यपाल महोदय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर, 2016 को प्रख्यापित राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक- 3) को अस्वीकार करता है ।"

(II) श्री अरूण चतुर्वेदी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय :-

राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2017
(2017 का विधेयक संख्या-5)

"अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से भिन्न पिछड़े वर्गों के लिये राजस्थान राज्य आयोग गठित करने हेतु और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक ।"

(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)

(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

पृथ्वी राज
सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 03 मार्च, 2017